2033 (3)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

R-11620/10

MADHYA PRADESH L 396571

विक्रय--पत्र

विक्रय मूल्य रूपये 60,00,000/-
(रूपये साठ लाख मात्र)

शासकीय मुद्रांक	:	रूपये	4,50,000/-
नगर निगम मुद्रांक	:	रूपये	60,000/-
पंचायत मुद्रांक	:	रूपये	60,000/-
उपकर मुद्रांक	:	रूपये	22,500/-
अतिरिक्त	:	रूपये	00/-
कुल मुद्रांक	:	रूपये	5,92,500/-

नाम विक्रेतागण : (1) श्री हरवेन्द्र सिंह रावत आयु वयस्क आत्मज श्री भगवती सिंह रावत, (2) श्री चेतनराज सिंह राव आयु वयस्क आत्मज श्री भगवती सिंह रावत एवं (3) श्रीमती हेमलता सिंह रावत आयु वयस्क पत्नि श्री चेतनराज सिंह रावत द्वारा मुख्तारआम श्री हरवेन्द्र सिंह रावत आत्मज श्री भगवती सिंह रावत, आयु वयस्क निवासी-म.नं. 60, बी-सेक्टर, इंद्रपुरी भोपाल (उक्त मुख्तारनामा उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में दिनांक 17-1-2011 ग्रंथ कं. ए-4/2388 दस्तावेज कं. 3029 पर पंजीबद्ध है। (4) श्री धीर सिंह रावत आयु वयस्क आत्मज श्री भगवती सिंह रावत (5) श्रीमती पूनम सिंह रावत आयु वयस्क पत्नि श्री धीर सिंह रावत द्वारा मुख्तारआम श्री भगवती सिंह रावत आयु वयस्क आत्मज श्री रोशन सिंह रावत निवासी-म.नं. 60, बी-सेक्टर, इंद्रपुरी भोपाल (उक्त मुख्तारनामा दिनांक 4-1-2011 को हाई कमीशन आफ इंडिया सिंगापुर में निष्पादित किया है। (6) श्री भगवती सिंह रावत आयु वयस्क आत्मज श्री रोशन सिंह रावत एवं (7) श्रीमती मुनेश रावत आयु वयस्क पत्नि श्री भगवती सिंह रावत, सभी निवासीगण - म.नं. 60, बी-सेक्टर, इंद्रपुरी भोपाल (म.प्र.)

पेन नं. AKGPR 2424 B

मुनेश रावत

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

₹.50 | Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH   L 396572

नाम केता : मेसर्स पारस कन्स्ट्रक्शन कंम्पनी एक भागीदारी फर्म कार्यालय 45 सहकारी परिसर, कलप्रवानिगर भोपाल द्वारा भागीदार श्री सुनील गुप्ता आत्मज स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, आयु वयस्क, निवासी–सी–99 सोनागिरी भोपाल एवं श्री अरविन्द जैन आत्मज स्व. श्री विमल जैन, निवासी–28–सी इंद्रपुरी भोपाल (म.प्र.)
पेन नं. ABSPG 4099E & ABUPJ 8901C

विकय की गई सम्पत्ति का विवरण :

अविकसित, असिंचित, अनडायवर्टेड कृषि भूमि खसरा क्रमांक 340/344/6/1 रकबा 0.405 हैक्टेयर अर्थात 1.00 एकड़, खसरा कमांक 340/344/6/2 रकबा 0.2[illegible] हैक्टेयर अर्थात 0.58 एकड़, खसरा कमांक 340/344/6/3 रकबा 0.240 हैक्टेयर अर्थात 0.58 एकड़, खसरा कमांक 340/344/6/4 रकबा 0.236 हैक्टेयर अर्थात 0.57 एकड़, खसरा कमांक 340/344/6/5 रकबा 0.236 हैक्टेयर अर्थात 0.57 एकड़ कुल रकबा 1.357 हैक्टेयर अर्थात 3.30 एकड़, स्थित ग्राम खजूरी कलां, पटवारी हल्का नम्बर 19/31, राजस्व निरीक्षण मण्डल–02, विकासखण्ड फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जो कि नगर निगम वार्ड क्रमांक 60 के अंदर स्थित है। उक्त विकय की जा रही भूमि मुख्य मार्ग से अंदर स्थित है जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है :-

दिशा पूर्व में	:	श्री अनार सिंह की भूमि
दिशा पश्चिम में	:	श्री नन्हे खां की भूमि
दिशा उत्तर में	:	श्री चैन सिंह की भूमि
दिशा दक्षिण में	:	श्री प्रताप सिंह की भूमि

उक्त विकय की गई भूमि को सलंग्न मानचित्र में दर्शाया गया है जो कि इस विकय पत्र का एक भाग है। भू-अ[illegible] एवं ऋण पुस्तिका कमांक 237529, 237530, 237527, 237528 है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50

Rs 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH L 396573

अन्य विवरण-

1- यह कि कृषि भूमि खसरा क्रमांक 340/344/6 कुल रकबा 3.30 एकड स्थित ग्राम खजूरी कलां, पटवारी हल्का नम्बर 19/31, राजस्व निरीक्षण मण्डल-02, विकासखण्ड फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल श्री जय सिंह आत्मज श्री राम सिंह श्रीमती प्यारी बाई पत्नि स्व. राम सिंह निवासी- ग्राम खजूरीकलां तह. हुजूर जिला भोपाल की थी जिसमें से उन्होने 1.58 एकड भूमि का विकय विक्रेता कं. 1 श्री हरवेन्द्र सिंह रावत आत्मज श्री भगवती सिंह रावत को दो पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 15-2-1999 एवं दिनांक 11-6-1999 के मार्फत किया है। इसी प्रकार श्री जय सिंह एवं श्रीमती प्यारी बाई ने खसरा कं. 340/344/6 में से 0.58 एकड भूमि का विकय विकेतागण कं. 2 व 3 श्रीमती चेतनराज सिंह रावत एवं श्रीमती हेमलता रावत को पंजीयत विकय पत्र दिनांक 15.02.1999 के द्वारा किया। तत्पश्चात श्री जय सिंह एवं श्रीमती प्यारी बाई ने खसरा कं. 340/344/6 में से 0.57 एकड भूमि का विकय विकेतागण 4 व 5 श्री धीर सिंह रावत एवं श्रीमती पूनम सिंह रावत को पंजीयत विकय पत्र दिनांक 15.02.1999, पंजीयन क्रमांक 3793 ग्रंथ क्रमांक अ-1/14326 के द्वारा किया। तत्पश्चात श्री जय सिंह एवं श्रीमती प्यारी बाई ने खसरा कं. 340/344/6 में से 0.57 एकड भूमि का विकय विकेतागण कं. 6 व 7 श्री भगवती सिंह रावत एवं श्रीमती मुनेश रावत को पंजीयत विकय पत्र दिनांक 15.02.1999, पंजीयन क्रमांक 3794 ग्रंथ क्रमांक अ-1/14328 के द्वारा किया जो विकेतागणों के नाम पर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज की गई है जिसके रिकार्ड स्वरुप भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका कमांक 237529, 237530, 237527, 237528 प्रदान की है तथा बटान के पश्चात उक्त भूमि का खसरा क्रमांक 340/344/6/1, 340/344/6/2 340/344/6/3, 340/344/6/4 एवं 340/344/6/5 हुआ। तदानुसार विकेतागण उक्त भूमि 3.30 एकड के स्वामी, स्वत्वधारी व आधिपत्यधारी हुए।

2- यह कि विकेतागणों ने उनके स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त विक्रय की जा रही भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था के हित में विक्रय, दान, हिब्बा मौखिक/लिखित बंधक अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं की है और न

मुनेश रावत

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रूपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

4

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

L 396574

है। उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था के हित में विक्रय किये जाने हेतु कोई अनुबंध नही किया है। उपरोक्त विक्रय की जाने वाली भूमि पर विकेतागणों को सभी प्रकार के ऋण, भार, दान आदि से रहित पाक व साफ, स्वत्व, स्वामित्व व अधिकार प्राप्त है।

3- यह कि विकेतागणों ने उनके स्वत्व व स्वामित्व की उक्त भूमि खसरा क्रमांक 340/344/6/1 रकबा 0.405 हैक्टेयर अर्थात 1.00 एकड, खसरा कमांक 340/344/6/2 रकबा 0.240 हैक्टेयर अर्थात 0.58 एकड, खसरा कमांक 340/344/6/3 रकबा 0.240 हैक्टेयर अर्थात 0.58 एकड, खसरा कमांक 340/344/6/4 रकबा 0.236 हैक्टेयर अर्थात 0.57 एकड, खसरा कमांक 340/344/6/5 रकबा 0.236 हैक्टेयर अर्थात 0.57 एकड कुल रकबा 1.357 हैक्टेयर अर्थात 3.30 एकड, स्थित ग्राम खजूरी कलां, पटवारी हल्का नम्बर 19/31, राजस्व निरीक्षण मण्डल-02, विकासखण्ड फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल को कुल राशि रूपये 60,00,000/- (रूपये साठ लाख केवल) की एवज में क्रेता के हित में विक्रय की है और उपरोक्त विकय मूल्य की संपूर्ण राशि विकेतागणों ने केता से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है जिसकी प्राप्ति की विकेतागण एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है :-

11,75,000/-	चेक कं. 669513 दिनांक 9-2-2011केनरा बैंक भेल भोपाल जो अरविन्द जैन ने जारी किया है।
11,50,000/-	चेक कं. 395857 दिनांक 9-2-2011 ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स हमीदिया रोड भोपाल जो श्रीमती लक्ष्मी पुरसवानी ने जारी किया।
9,25,000/-	चेक कं. 138844 दिनांक 10-2-2011 बैंक आफ बडोदा भेल भोपाल जो सुनील गुप्ता ने जारी किया।
7,00,000/-	चेक कं. 294501 दिनांक 10-2-2011 बैंक आफ महाराष्ट्र अरेरा कालोनी भोपाल जो शरद जैन ने जारी किया।
7,00,000/-	चेक कं. 264952 दिनांक 10-2-2011 यूनियन बैंक आफ इंडिया आनंद नगर भोपाल जो सी.एल. गुप्ता ने जारी किया।
13,50,000/-	नगद बाला [illegible] भुगतान किये
60,00,000/-	कुल रूपये साठ लाख ।

मुकेश रावत

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत सत्यमेव जयते INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

5

L 396575

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

4- यह कि उक्त विक्रय की गई भूमि के विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि उपरोक्तानुसार विकेतागणों ने क्रेता से प्राप्त कर ली है और अब विक्रय मूल्य की ऐसी कोई राशि केता से प्राप्त किया जाना शेष नहीं रही है एवं विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि विकेतागणों द्वारा प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त विक्रय की गई भूमि पर विकेतागणों को प्रांप्त वे समस्त स्वत्व, स्वामित्व, अधिकार जो कि इस विक्रय पत्र के पंजीयन उन्हें प्राप्त थे वे इस विक्रय पत्र के द्वारा क्रेता के हित में हमेशा-हमेशा के लिये मय सुखाधिकार सहित हस्तांतरित कर दिये अर्थात विक्रय कर दिये एवं विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन के समय ही उक्त विक्रय की गई भूमि पर क्रेता को रिक्त अधिपत्य सौंप दिया है अब क्रेता जिस प्रकार चाहे उक्त क्रय की गई भूमि का उपयोग, उपभोग, विक्रय, बंधक, कृषि कार्य आदि किये जाने के लिये स्वतंत्र है। उक्त विकय भूमि पर विकेतागण तथा उसके बालिग, नाबालिग सदस्यों का किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं रहा ना ही भविष्य में रहेगा।

5- यह कि विकेतागण यह स्पष्ट करते है कि उक्त विक्रय की गई भूमि को उन्होने सभी प्रकार के ऋण, भार, दान, बंधक आदि से रहित पाक व साफ स्वत्व, स्वामित्व तथा अधिकारों के क्रेता के हित में विक्रय की है किन्तु इसके पश्चात भी उक्त विक्रय की गई भूमि अथवा उसका कोई भाग विकेतागणो के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की त्रुटि के कारण क्रेता के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य से निकल जावेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकेतागणो की ही होगी एवं उस स्थिति में विकेतागण द्वारा प्राप्त की गई विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि मय हर्जे-खर्चे सहित क्रेता को एक मुश्त भुगतान किये जाने हेतु पाबंदित रहेंगें और यदि ऐसी राशि का भुगतान करने में किसी भी प्रकार की कोई टाल-मटोल अथवा आनाकानी करेंगी तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी राशि विकेतागणों की चल एवं अचल सम्पत्ति से एक मुश्त वसूल लेवें जिसमें विकेतागण अथवा उनके वारिसों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

6- यह कि उपरोक्त विक्रय की गई भूमि के विक्रय से म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 अथवा तत्संबंधी संशोधन अधिनियम अथवा भू-दान अधिनियम अथवा अन्य किसी भी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

7- यह कि इस विकय पत्र के आधार पर क्रेता उक्त भूमि का नामान्तरण उसके हित में करवा लेवे और यदि ऐसे नामान्तरण के लिये विकेता के किसी भी प्रकार के

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

6

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH L 396576

सहयोग की अथवा व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो विक्रेतागण ऐसी समस्त कार्यवाहियों के लिए स्वयं के व्यय से उपस्थित रहकर नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु वचनबद्ध रहेंगें।

8- यह कि उपरोक्त विक्रय की गई भूमि के विक्रय से म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 अथवा तत्संबंधी संशोधन अधिनियम अथवा भू-दान अधिनियम अथवा अन्य किसी भी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

9- यह कि विक्रेता एवं क्रेता मध्यप्रदेश पंजीयन नियम 1939 से अवगत हैं तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के अनुसार उक्त क्रेता द्वारा उक्त संपत्ति के स्वत्व की जाँच कर ली है।

10- हम, विक्रेतागण घोषणा करते है कि जो संपत्ति इस विलेख के साथ हस्तांतरित की जा रही है, पूर्व में विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं की गई है और न ही हमारे अथवा हमारे अटार्नी अथवा सहस्वामी द्वारा आज दिनांक तक बंधक, दान की गई है और ना ही स्थायी रूप से अन्यसंक्रान्त किया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो इसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगें हम भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे है।

11- मैं, क्रेता उक्त संपत्ति के संबंध में घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद क्रय कर रहा हूँ तथा मैंने उक्त संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में मूल स्वामित्व विलेख का अवलोकन कर लिया है तथा इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि विक्रेता ने आज दिनांक तक उक्त संपत्ति का हस्तांतरण एवं स्थायी रूप से अन्यसंक्रान्त नहीं किया है और विक्रेता ने भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) का उल्लघन नहीं किया है।

दिनांक : 09/02/2011

मुनश्री रावत

हस्ताक्षर विक्रेतागण

हस्ताक्षर क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

7

L 396577

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

अतः . यह विक्रय पत्र आज दिनांक 09/02/2011 को भोपाल शहर में निम्न हस्ताक्षरकर्ता साक्षीगणों के समक्ष बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ्य मरितष्क की हालत में निष्पादित किया गया है।

साक्षीगण : विक्रेतागण

मुनेश रावत

1– दर्शन चावला S/o गामूमल चावला

13 A. गोविन्द गार्डन

रायसेन रोड भोपाल

2– आलोक मुकाम्बा

49, एडवोकेट कालोनी

नोट :– इस दस्तावेज में कोई कांट–छांट नहीं है।

मेरे द्वारा प्रारूपित :

(सुरेश चौधरी)

अधिवक्ता,भोपाल

विक्रेतागण

मुनेशरावत